

24⁰¹/₂₁ पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 07.04.2021 को पेश हो।

07⁰⁴/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / रो.मि.टी.वि. पर होने से दिनांक ~~05/05/21~~ को पेश हो *Ranj*

05⁰⁵/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / पौकडाडा पर होने से दिनांक 07.07.2021 को पेश हो *Ranj*


07⁰⁷/₂₁ पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / कोविड पर होने से दिनांक ~~25/08/21~~ को पेश हो *Ranj*

25⁰⁸/₂₁ पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 29.09.2021 को पेश हो।

07⁰⁹/₂₁ पत्रावली पेश हुई। चूंकि प्रा. पत्र बिहीन रिसे जाने बाद-पत्र प्रस्तुत होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ताजी ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त जवाबी प्रकरण में आगामी तारिख पेशी 29.09.2021 निषत है यह की उक्त पत्रावली में

लोक अदालत की आगना से सही पत्रकारिता ने
सजीनामा कर लिया है। अतः प्राथमिक पत्र पेश कर
निवेदन है कि उक्त पत्रावली को आप ही तमब
की जाकर उक्त अनानी वाद को इसी स्टेप पर
विद्रोह के आदेश परमाया जाने।

पत्रावली न प्रस्तुत प्रा. पत्र का अल्लोकन
किया जाकर प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता
है एवं वाद वादी विद्रो के आदेश दिये जाते हैं।
पत्रावली निर्णित हुमांर होकर दफ्तर दायित्व हो
एवं निम्नानुसार नम्बर से कम है।


ठय खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)